1
अध्याय

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों तथा कार्य नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल),नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि. (एनएलसीआईसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

विजन

ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आधुनिक, धारणीय एवं प्रतिस्पर्धी कोयला क्षेत्र।

उद्देश्य

क) कोयला उत्पादन तथा आफटेक,ओवर बर्डन हटाने (ओबीआर), लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।

ख) कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना विकास

ग) पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग करना।

घ) अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहलें

ङ) संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि

च) ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता

छ) अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी से तथा संयुक्त रूप से समाधान

ज) कोल इंडिया की क्षमता में सुधार

झ) निजी निवेश आकर्षित करना

ञ) पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार आबंटित विषय (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. भारत में कोकिंग कोयला और नानकोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास।
2. कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
3. ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिन के लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।
4. कोयले का निम्नतापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन। 4क. कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।
5. कोयला खान (संरक्षण औ रविकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
7. कोयला खान कल्याण संगठन।
8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 (1947 का 32) का प्रशासन।

10. खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद–शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन।

11. कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

12. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेतभराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

1. संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए 15.11.2021 की स्थिति के अनुसार दो अपर सचिव, चार संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक उप महानिदेशक, नौ निदेशक/उपसचिव/संयुक्त निदेशक, दस अवर सचिव, पांच अनुभाग अधिकारी, एक लेखानियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक, दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा तीन सहायक लेखा अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं। दिनांक 15.11.2021 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय का संगठन चार्ट अनुबंध–I में दिया गया है।

2. अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठन हैं:–

(i) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय–एक अधीनस्थ कार्यालय।

(ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) – एक स्वायत्तशासी निकाय।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

iii. नेयवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

3. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक "महारत्न" कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा सबसे बड़ा नियोक्ता कारपोरेट है। सीआईएल भारत के आठ (8) राज्यों में फैले 85 खनन क्षेत्रों में प्रचालरत है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 345 खानें हैं (1 अप्रैल, 2021 की स्थिति), जिनमें से 151 भूमिगत, 172 ओपनकास्ट और 22 मिश्रित खानें हैं।

सीआईएल के पास 26 प्रशिक्षण संस्थान हैं। सीआईएल के नियंत्रणाधीन भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र है तथा कार्यपालकों को बहु–आयामी प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत एवं इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्ठे तथा कई अन्य उद्योग शामिल हैं।

सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली आठ सहायक कंपनियां निम्नलिखित हैं:–

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल),
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
- सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

इसके अलावा, सीआईएल की मोजांबिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) नामक एक विदेशी सहायक कंपनी है।

सीआईएल ने दो नई सहायक कंपनियों को शामिल किया है अर्थात् गैर–परम्परागत / स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड तथा सोलर फोटोवोल्टाइक माड्यूल के विकास के लिए सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड।

असम में एक खान अर्थात् नार्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स का प्रबंधन सीआईएल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वन भूमि उपलब्ध न होने तथा अन्य सांविधिक अनापत्तियों के कारण एनईसी में प्रचालन दिनांक 03 जून, 2020 से अस्थायी रूप से निलंबित है। महानदी कोलफील्ड्स लि., कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी की चार (4) सहायक कंपनी, एसईसीएल की दो सहायक कंपनियां तथा सीसीएल की एक सहायक कंपनी है।

सीआईएल के पास निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियाँ भी हैं:

1. सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, एफसीएल तथा एचएफसीएल के बीच हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) जिसमें सीआईएल की सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर में उर्वरक निर्माण (अमोनिया, यूरिया एवं नीम कोटेड यूरिया) के लिए 26.97% हिस्सेदारी है।

2. आरसीएफ, सीआईएल, गेल तथा एफसीआईएल के बीच तलचर उर्वरक लिमिटेड (टीएफएल) जिसमें सीआईएल की तलचर ओडिशा में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी सहित उर्वरक परियोजनाओं एवं रसायनिक निर्माण (यूरिया) परिसर के लिए 29.67% हिस्सेदारी है।

3. सीआईएल और एनटीपीसी के बीच सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सीआईएल की सौर विद्युत परियोजनाओं में 50% हिस्सेदारी है।

4. सीआईएल तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच कोयला लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सीआईएल की विद्युत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 50% हिस्सेदारी है।

4. सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन का लगभग 9% का उत्पादन करती है।

एससीसीएल का तेलंगाना में कोठागुडेम, भद्राद्री जिले में पंजीकृत कार्यालय है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 43,068 श्रमशक्ति (30.11.2021 की स्थिति) सहित तेलंगाना के छह जिलों में 19 ओपनकास्ट तथा 25 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।

एससीसीएल को तीन कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं:

- ओडिशा के अंगुल जिले में अगस्त, 2015 में एससीसीएल को नैनी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसके लिए माइन क्लोज़र प्लान सहित खनन योजना अनुमोदित की जाती है तथा विभिन्न अनुमतियां/ अनुमोदन प्राप्त करने हेतु खनन पूर्व कार्यकलाप प्रस्ताव प्रक्रिया में है। वर्ष 2022–23 से खान से कोयला उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है।

- तेलंगाना राज्य के भद्राद्री जिले में स्थित पेनागड्डप्पा कोयला ब्लॉक 15 दिसंबर, 2016 को एससीसीएल को आबंटित किया गया है। अन्वेषण ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है तथा जी आर प्रस्तुत कर दी गई है।

- ओडीशा में नई पात्रापाड़ा कोयला ब्लॉक एससीसीएल को 30.10.2019 को आवंटित की गई है। एससीसीएल ने कार्यक्रम के अनुसार खनन–पूर्व कार्यकलाप शुरू करने हेतु आवश्यक कदम उठाया है।

वर्तमान में, 2X600 मे.वा. सिंगरेनी थर्मल विद्युत स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिला में प्रचालन में है। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन 38388 एमयू है तथा वर्ष 2021–22 (नवम्बर, 2021 तक) में कुल 2872 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया है।

एससीसीएल ने 300 मे.वा. का सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी जिसमें से नवम्बर, 2021 तक 209 मे.वा. के सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 2021–22 (नवम्बर, 2021 तक) के दौरान संयंत्रों द्वारा कुल 128 एमयू विद्युत उत्पादन किया गया है।

इसके अलावा, अगले दो वर्षों में 170 मे.वा. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की भी योजना बनाई गई है।

5. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड

एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक ''नवरत्न'' कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसीआईएल की कई परियोजनाएं हैं तथा इसका विस्तार तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडीशा, झारखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में होने के साथ–साथ मौजूदा खानों एवं विद्युत संयंत्रों के विस्तार/उसमें तेजी लाना, ग्रीन फील्ड खानों एवं विद्युत संयंत्रों की स्थापना, विद्युत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण, पूरे भारत में छाप छोड़ते हुए देश भर में पवन एवं सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है। एनएलसीआईएल लिग्नाइट और कोयले का उपयोग करते हुए तथा थर्मल पॉवर एवं हरित ऊर्जा की उपलब्धि सहित ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्रचालन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

लिग्नाइट खानें:

नेयवेली में 28.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.10 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान। लिग्नाइट क्षेत्र में वर्तमान स्थापित क्षमता 30.60 एमटीपीए है।

कोयला खानें:

20.00 एमटीपी, तालाबीरा II और III ओसी खान प्रचालन एमडीओ माध्यम के अंतर्गत 11 दिसम्बर, 2019 को प्रारंभ हो गया था। तालाबीरा खानों से कोयला उत्पादन 26 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ हुआ था। तालाबीरा खानों से पूर्ण क्षमता में उत्पादन जनवरी, 2027 तक होने की आशा है। एनटीपीएल को कोयले का प्रेषण 10.09.2021 को तथा एनटीपीसी को 14.10.2021 को प्रारंभ हुआ था।

लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन:

नेयवेली, तमिलनाडु में 3390 मेगावाट (मे.वा.) की कुल स्थापित क्षमता सहित चार लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 250 मेवा की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन। लिग्नाइट आधारित कुल स्थापित थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता 3640 मे.वा. है।

नेयवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन (एनएनटीपीएस): यूनिट–2 (500 मे.वा. क्षमता)–एनएनटीपीएस ने 10.02.2021 को सीओडी प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही संयंत्र की क्षमता बढ़कर 1000 मे.वा. हो गई थी (यूनिट–1 ने 28.12.2019 को सीओडी प्राप्त किया था)।

नवीकरणीय ऊर्जा:

- एनएलसीआईएल ने कझनीरकुलम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 51 मे.वा. की स्थापित क्षमता सहित अपने पवन ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। एनएलसीआईएल ने कई सौर–संयंत्र स्थापित किए हैं अर्थात्नेयवेली में 140 मे.वा.(130 मे.वा.+10 मे.वा.) का सौर–ऊर्जा संयंत्र, नेयवेली में 1.06 मे.वा. क्षमता की रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में 500 मे.वा. और 709 मे.वा. तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20 मे.वा. के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। इसके साथ ही एनएलसीआईएल की कुल आरई स्थापित क्षमता 1421.06 मे.वा. है।
- एनएलसीआईएल 1 जीडब्ल्यू सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली पहली पीएसयू बन गई है। सौर परियोजना की वर्तमान स्थापित क्षमता 1.37 जीडब्ल्यू है।

कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन:

एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड तथा टीएएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम (89:11 के अनुपात में इक्वीटी भागीदारी) के माध्यम से तुतिकोरीन, तमिलनाडु में 500 मे.वा. की क्षमता की दो (1000 मे.वा.) इकाइयों सहित कोयला आधारित ताप विद्युत परियाजना प्रचालन में है।

एनएलसीआईएल तथा यूपीआरवीयूएनएल का एक संयुक्त उद्यम नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल)

घाटमपुर, उत्तर प्रदेश में 17237.80 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 3x660 मे.वा. घाटमपुर कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना (जीटीपीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। इस यूनिट के वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान स्थापित हो जाने की आशा है।

दिसम्बर, 2021की स्थिति के अनुसार एनएलसी इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 6061.06 मे.वा. थी।

नेयवेली तमिलनाडु में चार थर्मल पावर स्टेशन और तीन खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में लिग्नाइट खानें एवं लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं। एनएलसीआईएल की उत्पादन वृद्धि बनी हुई है और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इसका पर्याप्त योगदान है।

योजनाधीन/निर्माणाधीन परियोजनाएं :

- पूरे देश में सौर एवं ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु एनएलसीआईएल तथा सीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनी 'कोयला लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड' 50:50 की इक्विटी भागीदारी सहित 10 नवम्बर, 2020 को स्थापित की गई थी।

- पचवारा साउथ कोयला ब्लॉक (पीएससीबी) (9 एमटीपीए), दुमका, झारखंडः कोयला मंत्रालय द्वारा अंतिम भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट (एफजीआर) 07 सितम्बर, 2020 को अनुमोदित की गई थी। पीएससीबी की खनन योजना एवं माइन क्लोज़र योजना कोयला मंत्रालय द्वारा 11 नवम्बर, 2020 को अनुमोदित की गई थी। प्रभाव आकलन अध्ययन प्रगति पर है।

- एनएलसीआईएल ने एसईसीआई द्वारा जारी 150 मे.वा. सौर हाइब्रिड निविदा तथा आईआरईडीए द्वारा जारी 510 मे.वा. सौर निविदा प्राप्त की है।

- ओडिशा (एनटीटीपीपी) में 2400 मे.वा. पिट हैड कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना वर्ष 2026–27 तक स्थापित हो जाने की संभावना है। अवसंरचना कार्य एवं सिंगल पैकेज इंजीनियरिंग, प्रापण एवं विनिर्माण (ईपीसी) एनआईटी 18 नवम्बर, 2020 को जारी की गई थी। पर्यावरणीय अनापत्ति 2 फरवरी, 2021 को जारी की गई थी।

6. कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ)

संगठनात्मक ढाँचाः

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, कोठागुदेम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक फील्ड कार्यालय में एक जीएम/डीजीएम स्तर का कार्यपालक है जो विशेष कार्य अधिकारी की क्षमता में कार्य कर रहा है तथा जिसे अन्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। यह कार्यालय एनईसीएल कमान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयला खानों की देख–रेख करता है तथा कोयला नियंत्रक को विभिन्न मुद्दों पर सहायता प्रदान करता है।

कोयला नियंत्रक कार्यालय के सांख्यिकीय स्कंध में दो आईएसएस अधिकारी तथा अन्य सहायक स्टाफ तैनात हैं जो कोयला सांख्यिकी के नियमित आधार पर संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार हेतु सीसीओ एक नोडल कार्यालय है।

वर्ष 2021 में स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली में सीसीओ का एक विस्तारित कार्यालय स्थापित किया गया है।

01.12.2021 की स्थिति के अनुसार सीसीओ कोलकाता, दिल्ली एवं धनबाद कार्यालय में कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई हैः

30.11.2021 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति की स्थिति

जनशक्ति	समूह क	समूह ख		समूह ग	कुल
	राजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	अराजपत्रित	
संस्वीकृत संख्या	11	शून्य	40	126	177
पदधारित	05	शून्य	17	67	89
रिक्त	**06**	**शून्य**	**23**	59	88

- सीसीओ, दिल्ली, स्कोप मीनार, 5वां तल, कोर–II, लक्ष्मीनगर, दिल्ली के नव निर्मित विस्तारित कार्यालय में 17 अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

कोयला नियंत्रक के संगठन को सुदृढ़ करना

हाल के वर्षों में कोयला क्षेत्र सहित उसकी नीतिगत रूपरेखा तथा विधिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से कोयला नियंत्रक के संगठन की पुनर्संरचना करने तथा उसके पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता हुई। इस पृष्ठ भूमि में इस उद्देश्य के साथ इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) को एक अध्ययन अवार्ड किया गया था कि कोयला नियंत्रक संगठन एक विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरण के रूप में अधिक समर्थक भूमिका एवं कार्य का उत्तरदायित्व लें। पर्यावरण तथा सुरक्षा दो मुख्य मसले हैं जिनके लिए कोयला क्षेत्र को संघर्ष करना है और कोयला नियंत्रक संगठन को स्वविवेकी समन्वयक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है और उसे डीजीएमएस, एमओईएफ तथा राज्य सरकारों की तरह उद्योग तथा विनियामकों के बीच एक संपर्क अभिकरण बनाना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा कोयला मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2017 में स्वीकार कर लिया गया है। कार्यान्वयन रिपोर्ट में 02 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करना शामिल है तथा 178 अतिरिक्त पदों के सृजन की अभी प्रतीक्षा है।

तत्पश्चात, कोयला मंत्रालय ने श्री ए.एन. सहाय, पूर्व कोयला नियंत्रक की अध्यक्षता में कोयला नियंत्रक के कार्यालय की कार्य की समीक्षा करने हेतु 4 सदस्यीय समीक्षा समिति गठित की थी। समिति की अंतिम रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को 8 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत कर दी गई है तथा कोयला मंत्रालय ने इसका अनुमोदन कर दिया है।

कार्यः

कोयला नियंत्रक संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता है :

(i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004

(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)।

(iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011

(iv) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

इसके अलावा कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता हैः

क) कैप्टिव कोयला ब्लॉकों (निधानित और आबंटित) के कोयला उत्पादन की निगरानी का कार्य;

ख) वाशरियों की मानीटरिंग का कार्य;

(ग) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ एस्क्रो लेखा करार पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत सरकार की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना;

घ. भुगतान आयुक्त (सीओपी) से संबंधित मामले;

01 अप्रैल, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः–

(1) कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करनाः

कोयला नियंत्रक संगठन ने 01 अप्रैल, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 के दौरान 23 (तेइस) कोयला/लिग्नाइट खानों को खोलने तथा पुनः खोलने को अनुमति प्रदान की है।

(2) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटान

कोयला नियंत्रक ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8(2) के अंतर्गत कोयला मंत्रालय को 08 (आठ) अधिसूचनाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(3) एकत्रित एवं विश्लेषित कोयला नमूने, प्राप्त सांविधिक शिकायतें एवं निपटानः–

कोलियरी कंट्रोल (संशोधन) नियम, 2021 के अंतर्गत, कोयला नियंत्रक कोयला ग्रेडों और सीमों को घोषित करने और कोलियरी से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता का अनुमोदन करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, का भी निपटान करता है।

30.11.2021 तक प्राप्त सांविधिक –शिकायतें 03 (तीन) तथा समाधान

वर्ष 2021–22 के दौरान ग्रेड निर्धारण प्रयोजन हेतु सीसीओ ने विभिन्न कोयला खानों एवं भारत की सभी कोयला कंपनियों की साइडिंग्स में पूरे वर्ष किंचित सैम्पलिंग कार्यकलाप किया था। 01 अप्रैल, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक एकत्रित एवं विश्लेषित कोयला नमूनों (जांच) की कुल संख्या 473 है।

(4) कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, समेकन तथा प्रकाशन

कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन और प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में संग्रहण, समेकन, प्रकाशन तथा आंकड़ों के प्रसार के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते सीसीओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक कोयला निर्देशिका तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी और वर्ष 2020–21 के लिए कोयला निर्देशिका भी प्रकाशित करता है। कोयला निर्देशिका 2019–20 तथा कोयला सांख्यिकी 2020–21 पहले ही प्रकाशित कर दी गई है।

(5) कोयला ब्लॉकों की मॉनिटरिंग तथा प्रगति

कोयला नियंत्रक का कार्यालय पूर्व में आवंटित कोयला ब्लॉकों से संबंधित बैंक गारंटी के मुद्दे का निगरानी करता है तथा मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर रिपोर्ट भेजता है। यह ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले की लिकेंज मात्रा का भी निर्धारण करता है।

(6) खान बंद करने संबंधी योजना तथा एस्क्रो लेखा करार का अनुपालन

1. कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खान बंद करने संबंधी योजना (प्रगामी तथा अंतिम) के अनुसार खनन क्षेत्रों की खान बंद करने संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने तथा पर्यावरण सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र फेंसिंग, संरक्षा एवं पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में सीएमपीडीआईएल/एनईईआरआई, नागपुर/आईएसएम, धनबाद/आईआईटी, खड़कपुर/आईआईईएसटी, शिवपुर जैसी सरकारी अधिसूचित संस्थानों से प्रमाणीकरण का कार्य करने तथा खान बंद योजना तैयार करने हेतु कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.01.2013 तथा 16.12.2019 और का.ज्ञा. दिनांक 25.11.2020 के दिशा–निर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार वार्षिक खान बंद करने संबंधी लागत, जहां कोयला नियंत्रक अनन्य रूप से लाभार्थी होगा, जमा करने हेतु किसी अधिसूचित बैंक में मियादी जमा एस्क्रो खाता खोलने का कार्य सौंपा गया है।

2. वर्ष 2021–22 के दौरान 10 दिसम्बर, 2021 तक 19 खानों के लिए त्रि–पक्षीय करार (संशोधित एवं नया करार) निष्पादित किये गए हैं।

3. कोयला/लिग्नाइट कंपनियों और अधिसूचित बैंकों के बीच 580 त्रिपक्षीय एस्क्रो खाता करार निष्पादित किए गए हैं। 10 दिसम्बर, 2021 तक एस्क्रो खाते में टीडीएस समायोजन के पश्चात ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि 12991.74 करोड़ रु. (बारह हजार नौ सौ इक्यानवे करोड़ चौहत्तर लाख) (अनंतिम) है।

4. 10 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न कोयला एवं लिग्नाइट खानों के एस्क्रो खाते से प्रगामी/अंतिम खान बन्द करने संबंधी कार्यकलापों के लिए 2290.20 करोड़ रू. (दो हजार दो सौ नब्बे करोड़ बीस लाख) का भुगतान किया गया है।

(7) भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य

कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में भुगतान आयुक्त (सीओपी) के दो कार्यालय स्थापित किए गए थे, एक धनबाद तथा दूसरा कोलकाता में ताकि वर्ष 1972–73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्व स्वामियों की देयताओं का निपटान करने हेतु राशि का संवितरण किया जा सके। धनबाद कार्यालय का अधिकांश कार्य समाप्त होने के पश्चात् इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था तथा शेष कार्य को भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को 1987 में अंतरित कर दिया गया था।

तत्पश्चात् आर्थिक आयोग सुधार (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुपालन में भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को भी 06 जून, 2007 से बंद कर दिया गया है। भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता का शेष कार्य कोयला नियंत्रक कार्यालय को अंतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सीओपी (भुगतान) आयुक्त का निष्पादन निम्नानुसार है:–

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 एवं कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अंतर्गत निधियों की स्थिति (01.04.2021 की स्थिति)			
क्र. स.	विवरण	कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972	कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973
1	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या और भुगतान आयुक्त द्वारा खोले गए तदनुरूपी कोलियरी खाते	226	711
2	31.03.2021 तक बंद कोलियरी खातों की संख्या	187	627
3	2020–21 के दौरान बंद कोलियरी खातों की संख्या (अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021)	शून्य	शून्य
4	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कोलियरी खातों की संख्या जिन्हें अभी बंद किया जाना है।	39	84
5	2020–21के दौरान भुगतान की गई मुआवजा राशि (31.03.2021)	शून्य	शून्य
6	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार भुगतान हेतु शेष राशि	525.47 लाख रु.	980.96 लाख रु.

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय द्वारा उन्हें देय मुआवजा राशि के वितरण के लिए भी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है। वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20,2020–21 तथा 2021–22 (नवम्बर, 2021 तक) के दौरान किए गए भुगतानों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	वितरित राशि
2016-17	रु. 944,69,37,538/-
2017-18	रु. 197,31,98,353/-
2018-19	रु. 247,41,088/-
2019-20	शून्य
2020-21	रु. 91,54,13,995/-
2021-22 (नवम्बर, 2021तक)	रु.13,43,43,054.55

8. कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है तथा इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय देश के कोयला उत्पादक राज्यों में स्थापित है।

इसका उत्तरदायित्व कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948, कोयला खान बीमा स्कीम से संबंद्ध निक्षेप, 1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन स्कीमों का परिचालन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 30 सितम्बर, 2021 तक संगठन द्वारा लगभग 3,72,046 लाख भविष्य निधिदाताओं को

तथा लगभग 5,66,430 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं दी गई हैं।

कोयला खान भविष्य निधि स्कीम

यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर निजी क्षेत्र में प्रचालित कोक संयंत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों तथा कार्यालय एककों की कुल संख्या 881 होगी। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधिस्कीम,1948 के अंतर्गत लगभग 3.69 लाख जीवित सदस्यता होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2021–22 अर्थात (01.04.2021 से 30.10.2021) तक के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित कोयला खान भविष्य निधि अंशदान की प्राप्त रकम लगभग 4076 करोड़ रुपए थी। दिनांक 01.11.2021 से 31.03.2022 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में लगभग 2911करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार अंशदान की कुल राशि बढ़कर लगभग 6987 करोड़ रुपए हो जाएगी। निधि में मौजूद पूरी रकम का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। 31.10.2021 तक निधि निवेश का कुल अंकित मूल्य लगभग 1,02,000 करोड़ रुपए (16,522 करोड़ रुपए के विशेष जमा स्कीम निवेश सहित) है। वृद्धि कारक निवेश (अंकित मूल्य) 01.04.2021 से 30.10.2021 तक लगभग 3800 करोड़ रुपए हैं तथा यह अनुमान किया जाता है कि 01.11.2021 से 31.03.22 तक यह लगभग 580 करोड़ रुपए होगी।

वर्ष 2020–21 के दौरान सदस्यों की एकत्र राशि पर प्रति वर्ष 8.5% प्रतिशत की दर सेब्याज की अनुमति दी गई है।

वर्ष 2021–22 (31 मार्च, 2022 तक अनुमानित) के दौरान अदा किए गए अग्रिमों सहित भविष्य निधि से वापिस की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

भविष्य निधि वापसी मामले	निपटाए गए (01.04.2021 से 30.09.2021) मामलों की संख्या तथा वितरित रु	निपटाए जाने वाले (01.10.2021 से 31.03.2022) तथा वितरित किए जाने वाले मामलों की अनुमानित संख्या रु
भविष्य निधि वापसी मामले	15098	18000 लगभग।
विवाह अग्रिम शिक्षाअग्रिम गृह निर्माण अग्रिम	1155	1250 लगभग।
भविष्य निधि तथा अग्रिम पर वितरित राशि	5578.36 करोड़ रु. लगभग (दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक लागू)	4000 करोड+ रुप, लगभग।'दिनांक 01–11–21 से 31–03–22 तक (अनुमानित)

सीएमपीएफ स्कीम के प्रशासन की लागत की पूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को 03 प्रतिशत की दर से प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार में से की जाती है।

भविष्य निधि वापसी के मामलों के निपटान में विलंब का रुझान नीचे दिया गया है: –

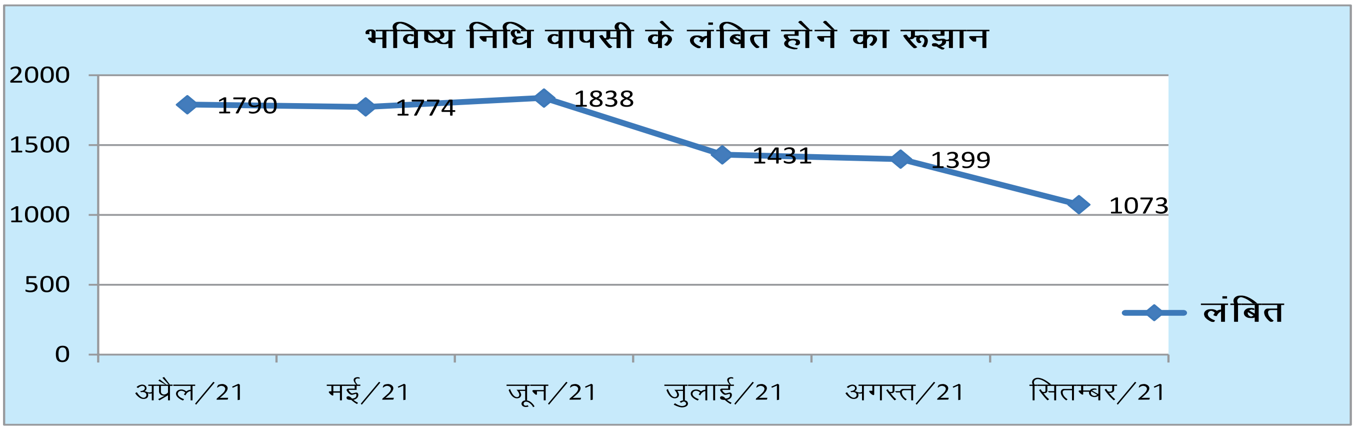

बीमा से संबद्ध कोयला खान निक्षेप स्कीम

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का सदस्य था, उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मृत व्यक्ति के खाते में औसत शेष राशि के बराबर पाने का अधिकारी है बशर्ते यह राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो।

इस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को शामिल किए गए कार्मिकों की कुल मजदूरी के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अंशदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर अंशदान करना होता है। इस समय इस स्कीम के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोजक कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से अंशदान करते हैं और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात् कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है।

सीआईएल के कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के तहत उक्त स्कीम से प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई थी।

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3 ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है। कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है।

01.04.2021 से 30.09.2021 तथा 01.10.2021 से 31.03.2022 (अनुमानित) के दौरान कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत निपटाए गए कुल पेंशन दावों एवं भुगतान का विवरण नीचे दर्शाया गया है:—

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998	निपटाए गए (01.04.2021 से 30.09.2021) मामलों की संख्या तथा वितरण	निपटाए गए (01.10.2021 से 31.03.2022) मामलों की संख्या तथा वितरण
पेंशन के निपटाए गए नए दावों की संख्या	16505	17400 लगभग
कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत वितरित/ ानराशि	2443.92 करोड़ रुपए लगभग (01.04.2021 से 31.10.2021)	1750 करोड़ रु., लगभग 01—11—2021 से 31—03—2022 (अनुमानित)

निधियों का कोष एवं इसकी संधारणीयता

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) नियुक्ति के दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।

(ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अशंदान बराबर—बराबर शेयर का अपना—अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।

(ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी को प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।

(घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है। **{ खण्ड (ख) से (घ) का लोप किया गया है तथा दिनांक 08 जून, 2018 को प्रकाशित जीएसआर सं. 540 (ई) के तहत दिनांक 01.10.17 से देय मूल वेतन एवं वैरिएबल मंहगाई भत्ता के आधार पर आकलित कर्मचारी के वेतन के 7% की**

दर से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा समान अंशदान हेतु खण्ड (छ) जोड़ा गया है}।

(ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है। बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छः सौ रू. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छः सौ रू. प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा।

(च) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले नए कर्मचारियों सहित पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि।

सेवारत सदस्यों का पेंशन अंशदान 01.04.2021 से 31.10.2021 तक 2402.97 करोड़ रुपए तथा (01.11.2021 से 31.03.2022 तक (अनुमानित) (सरकार के अंशदान तथा ब्याज सहित) लगभग 1716 करोड़ रुपए है।

कवरेजः.

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।

(ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस–1 और पीएस–2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

(घ) 01.04.1994 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं.521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

लाभः.

(क) मासिक पेंशन (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से निकलना।)

(ख) विकलांगता पेंशन

(ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन

(घ) बाल पेंशन

(ड.) अनाथ पेंशन

(च) अनुग्रह राशि का भुगतान

लंबित पेंशन मामलों के निपटान का रूझान नीचे आंकड़ों में दर्शाया गया है:

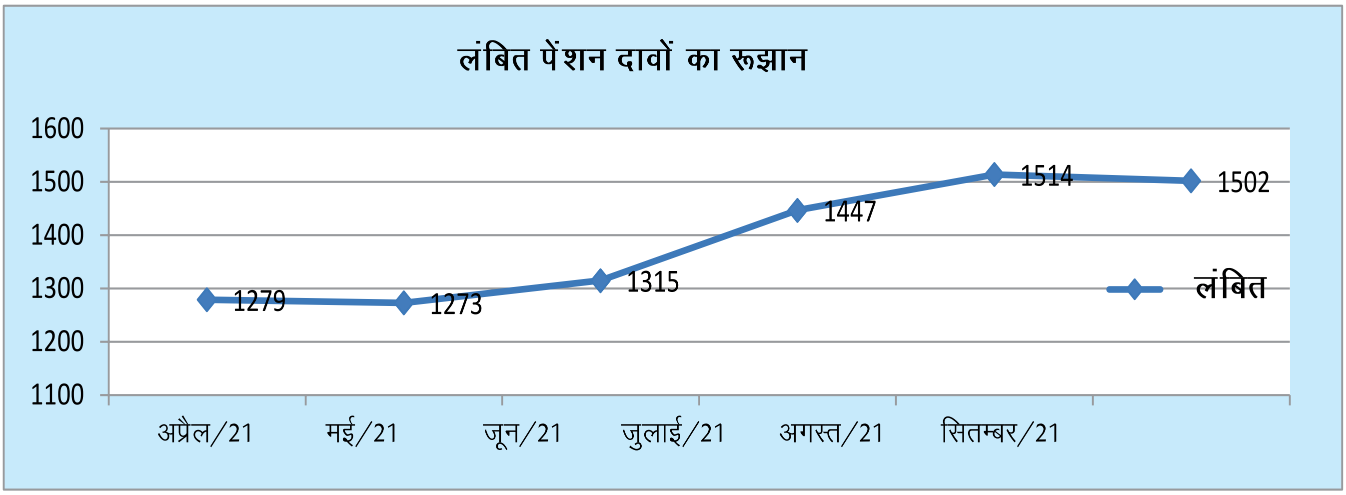

टिप्पणी: वर्ष 2021–22 के लिए कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री में दिए गए सभी आंकड़े अंनतिम (अलेखापरीक्षित) है।